सरकारी धन/सुकन्या समृद्धि योजना से सम्बन्धित धन का गबन करने वाले अभियुक्त को कपकोट पुलिस ने किया गिरफ्तार।

कपकोट में शाखा डाकघर काफली रीमा में शाखा डाकपाल के पद पर कार्यरत आदित्य सिन्हा के खिलाफ सरकारी धन/ खाताधारको के सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित धनराशि 71,723 रुपयों के गबन के संबंध में चौकी रीमा, थाना कपकोट को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिस आधार पर दिनांकः 01-06-2024 को चौकी रीमा में उपरोक्त के विरुद्ध FIR. NO. 18/2024 U/S 409 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 27.7.2024 को उक्त अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त आदित्य सिन्हा पुत्र श्याम कुमार स्थाई निवासी ग्राम पोस्ट नानंद थाना सिलाव जिला नालंदा बिहार , हाल निवासी ग्राम पोस्ट काफली रीमा थाना कपकोट जनपद बागेश्वर उम्र 25 वर्ष को धारा – 409 IPC के तहत चौकी रीमा पुलिस द्वारा काफली से गिरफ्तार किया गया।